प्रेस प्रकाशनी *

जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने शीर्ष प्रबंध तंत्र की कार्यक्रम सूची सार्वजनिक की

3 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक 3 जनवरी 2011 से गवर्नर तथा उप गवर्नरों की सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। कार्यक्रम सूची में शीर्ष प्रबंध तंत्र के सार्वजनिक व्याख्यान तथा पहुँच कार्यक्रम शामिल होंगे। यह केंद्रीय बैंक तथा गवर्नर और उप गवर्नरों के कार्यालयों से जुड़े रहस्य को दूर करने की दिशा में किया गया और एक प्रयास है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम पूँजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया

6 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर परिचालनात्मक जोखिम पूँजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देशों पर अभिमत/प्रतिसूचना 7 फरवरी 2011 के पहले प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को ई-मेल किए जा सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2009 में भारत में बासेल II ढाँचे के अंतर्गत विनियामक पूँजी की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा घोषित की थी। परिचालनात्मक जोखिमों के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)/ वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) मार्च 2010 में तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक प्रतिदर्श दृष्टिकोण (आइएमए) अप्रैल 2010 में जारी किए गए थे। रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2009 को बैंकों को सूचित किया था कि वे अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2012 के बाद से परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) को लागू करने के लिए आवेदन करें। परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) हेतु दिशानिर्देशों को दिसंबर 2010 तक अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

माइक्रो वित्त संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय

19 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अपने मौजूदा पुनर्संरचना के दिशानिर्देशों में बैंकों को दी गई कतिपय छूट के बारे में सूचित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि यह छूट संपूर्णतः अस्थायी उपाय है और 31 मार्च 2011 तक बैंकों द्वारा पुनर्संरचित माइक्रो वित्त संस्थानों के ऋणों पर लागू होगी।

प्रदान की गई छूट

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुनर्संरचित माइक्रो वित्त संस्थानों के मानक खातों को पूर्णतःबेजमानती होने पर भी विनियामक आस्ति वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है। यह छूट इस बात को ध्यान में रखते हुए दी गई है कि माइक्रो वित्त संस्था क्षेत्र की समस्याएं आवश्यक रूप से ऋण की कमी के कारण नहीं है बल्कि मुख्य रूप से वातावरण के घटकों के कारण है। रिज़र्व बैंक के इन उपायों से बैंकों द्वारा माइक्रो वित्त संस्थानों को कुछ चलनिधि सहायता प्राप्त होने की अपेक्षा है। साथ ही, इससे मालेगाम समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा माइक्रो वित्त संस्थानों की कार्यपद्धति में दीर्घावधि और ढाँचागत परिवर्तन के उपाय किए जाने तक कुछ समय तक एक 'होल्डिंग ऑन' परिचालन संभव हो सकेगा। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि उनको माइक्रो वित्त संस्थानों के संग्रहण को पुनःचालित करने के प्रयास करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वांछित 'होल्डिंग ऑन' परिचालन सफल हो।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में माइक्रो वित्त क्षेत्र की आधार स्तर की परिस्थिति का आकलन करने और किसी अस्थायी उपायों की आवश्यकता को जानने के लिए 22 दिसंबर 2010 को चयनित बैंकों के साथ चर्चा की थी। बैंकों ने सूचित किया कि आंध्र

* जनवरी 2011 में प्रकाशित महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी

प्रदेश में माइक्रो वित्त संस्थाओं द्वारा वसूली काफी कम हो गई है तथा दूसरे राज्यों में इस संक्रमण के फैलने के कुछ आरंभिक संकेत हैं। उसके बाद बैंकों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने प्रस्ताव रखा कि माइक्रो वित्त संस्था क्षेत्र के लिए रिज़र्व बैंक की पुनर्संरचना दिशानिर्देशों में कतिपय छूट देने की आवश्यकता है। उसने यह पाया कि माइक्रो वित्त संस्थाओं के बैंक ऋण अधिकतर बेज़मानती होते हैं किन्तु रिज़र्व बैंक के मौजूदा पुनर्संरचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनियामक आस्ति वर्गीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए खातों को संपूर्णतः जमानती होना चाहिए। बैंकों ने एक अंतरिम उपाय पर कार्य करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर डाला जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ माइक्रो वित्त संस्थाओं द्वारा अपने लीवरेज और वृद्धि के अनुमानों को कम करने जैसे कतिपय नियमों के अधीन माइक्रो वित्त संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र का पुनर्निधारण शामिल है।

आनंद सिन्हा ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यग्रहण किया

19 जनवरी 2011

श्री आनंद सिन्हा ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यग्रहण किया। श्री सिन्हा को उप गवर्नर के रूप में 28 फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे दो विनियामक विभागों अर्थात् बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग और शहरी बैंक विभाग का कार्यभार संभालेंगे। वे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, व्यय और बजट नियंत्रण विभाग, निरीक्षण विभाग, विधि विभाग और परिसर विभाग का भी कार्यभार संभालेंगे। उप गवर्नर के रूप में नियुक्त होने के पूर्व श्री सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक थे और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, वित्तीय स्थिरता इकाई तथा व्यय और बजट नियंत्रण विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे। श्री सिन्हा का केंद्रीय बैंक का करियर 34 वर्ष का है। उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों के लिए कई प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ तैयार करने में योगदान दिया है। वे कई आंतरिक समितियों में भी रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान अन्य कार्य के साथ-साथ विदेशी मुद्रा, निक्षेप बीमा और क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यभार संभाला है। कार्यपालक निदेशक के रूप में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भारत तथा रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है। वे बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस), बासेल, स्विटज़रलैण्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक के वैकल्पिक प्रतिनिधि थे। उन्होंने बीसीबीएस की तीन उप समितियों/कार्यक्षेत्रों अर्थात् नीति विकास समूहों (पीडीजी), समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण समूह (एमपीजी) तथा समष्टि वेरिएबल कार्यदल (एमवीटीएफ) में भी रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दिसंबर 2005 से वैश्विक वित्तीय प्रणाली (सीजीएफएस), बीआइएस की समिति में रिज़र्व बैंक का हाल तक प्रतिनिधित्व किया। वे उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के पूँजी प्रवाह पर सीजीएफएस कार्यदल के सदस्य भी थे। उन्होंने संकट के बाद गठित 'सुदृढ़ नियंत्रण को बढ़ावा देना तथा पारदर्शिता में बेहतरी लाना' विषय पर जी-20 कार्यदल में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिन्हा अपने करियर के विभिन्न समय में देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा निर्यात ऋण और गारंटी निगम के निदेशक बोर्ड पर रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक भी रहे। श्री सिन्हा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से भौतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री के बाद 1976 में भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़े। उनकी पत्नी श्रीमती शीला हैं और उनके दो सुपुत्र हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइक्रो वित्त संस्था क्षेत्र के विषय और समस्याओं पर अध्ययन के लिए अपनी केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की उप समिति की रिपोर्ट जारी की

19 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर माइक्रो वित्त संस्था क्षेत्र की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए अपनी केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की उप समिति की रिपोर्ट जारी की। उप समिति ने माइक्रो वित्त क्षेत्र में परिचालित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक अलग श्रेणी बनाने का सुझाव दिया है। इस अलग श्रेणी का नाम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो वित्त संस्थाएं रखा जाएगा। उप समिति ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो वित्त संस्था के रूप में पात्र होने के लिए एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक ऐसी कंपनी हो जो अपनी वित्तीय सेवाएं मुख्य रूप से न्यून-आय उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराएं और यह ऋण छोटी राशि की हो, अल्पावधि के लिए हो, बेजमानती आधार पर हो, मुख्य रूप से आय उपार्जन की प्रक्रिया के लिए हो और चुकौती सूची वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सामान्य रूप से निर्धारित चुकौती सूची से अधिक बार हो और

उनकी ओर से निर्धारित विनियमों को पूरा करती हो। उप समिति ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो वित्त संस्था के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कुछ अतिरिक्त योग्यताओं का भी सुझाव दिया है। वे निम्नानुसार है:

क. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो वित्त कंपनी अर्हक आस्तियों के रूप में अपनी कुल आस्तियों (नकद और बैंक शेष तथा मुद्रा बाज़ार लिखतों के अलावा) का 90 प्रतिशत से कम धारित नहीं करेगी।

ख. 50, 000 रुपये की वार्षिक परिवार आय और एकल उधारकर्ता को ऋणों पर एक व्यक्तिगत सीमा 25, 000 रुपए की होगी।

ग. माइक्रो वित्त संस्था द्वारा दिया जानेवाला कम-से-कम 75 प्रतिशत ऋण आय के सृजन के के लिए हो।

घ. माइक्रो वित्त संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली अन्य सेवाओं पर प्रतिबंध है। सेवाओं का स्वरूप और निर्धारित कुल आय का अधिकतम प्रतिशत सेवाओं के अनुरूप होना चाहिए।

उप समिति ने सुझाव दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो वित्त संस्थाओं के रूप में पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिया गया बैंक उधार ''प्राथमिकता प्राप्त उधार'' के रूप में पात्र होगा। उधारकर्ता पर लगाए जाने वाले ब्याज के संबंध में उप-समिति ने सुझाव दिया है कि रु.100 करोड़ के संविभाग ऋण वाले माइक्रो वित्त संस्थाओं के लिए 10 प्रतिशत की एक औसत ''मार्जिन सीमा'' हो और छोटी माइक्रो वित्त संस्थाओं के लिए 12 प्रतिशत और व्यक्तिगत ऋणों पर ब्याज की अधिकतम सीमा 24 प्रतिशत हो। उसने यह भी प्रस्ताव किया है कि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक माइक्रो वित्त संस्था केवल तीन प्रभार अर्थात् (क) प्रोसेसिंग शुल्क (ख) ब्याज और (ग) बीमा प्रभार लगा सकती है।

उप समिति ने बहुविध उधार, सीमा से अधिक उधार, छद्म उधारकर्ताओं और बलपूर्वक की जानेवाली वसूली की समस्या को हल करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. एक उधारकर्ता केवल एक स्व-सहायता समूह (एसएचजी) अथवा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का सदस्य हो सकता है।

ख. एक उधारकर्ता को दो से अधिक माइक्रो वित्त संस्थाएं उधार नहीं दे सकती हैं।

ग. ऋण के संवितरण और वसूली की शुरुआत के बीच स्थगन की अवधि न्यूनतम होनी चाहिए।

घ. राशि के अनुरूप ऋण की अवधि बदलनी चाहिए।

ङ. एक ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए।

च. बलपूर्वक वसूली को रोकने की मूल जिम्मेदारी माइक्रो वित्त संस्थाओं तथा उनके प्रबंधन की होनी चाहिए।

छ. रिज़र्व बैंक को सभी माइक्रो वित्त संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने हेतु एक ग्राहक सुरक्षा कोड का प्रारूप तैयार करना चाहिए।

ज. शिकायत निवारण क्रियाविधि होनी चाहिए और लोकपाल गठित किया जाना चाहिए।

झ. सभी माइक्रो वित्त संस्थाओं को निर्धारित कंपनी अभिशासन के कोड का अनुपालन करना चाहिए।

नियमों के अनुपालन पर निगरानी के लिए उप-समिति ने (क) माइक्रो वित्त संस्था (ख) उद्योग संगठन (ग) बैंक और (घ) रिज़र्व बैंक द्वारा जिम्मेदारियों की सहभागिता के साथ चार स्तंभवाले दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्तावित माइक्रो वित्त (विकास और विनियम) बिल 2010 की समीक्षा करते हुए उप-समिति ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित अधिनियम द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को बचत सेवाएं उपलब्ध कराने का कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसमें यह भी सुझाव दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो वित्त संस्थाओं को राज्य मुद्रा उधार अधिनियमों से छूट दी जानी चाहिए और यह भी कि यदि उप-समिति के सुझाव स्वीकार किए जाते हैं तो आंध्र प्रदेश माइक्रो वित्त संस्था (मुद्रा उधार का विनियम) अधिनियम की आवश्यकता नहीं होगी।

उप-समिति ने सावधान किया है कि उधारकर्ताओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता के साथ-साथ यह जानना भी जरूरी है कि यदि वसूली प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्रणाली में निधियों का मुक्त प्रवाह बीच में रुक जाता है तो अंत में उधारकर्ता को ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो वित्त क्षेत्र में नई निधियों का प्रवाह अनिवार्यतः घट जाएगा।

पृष्ठभूमि

आपको यह याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2010 में माइक्रो वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य श्री वाई.एच.मालेगाम इस उप समिति के अध्यक्ष थे। इस उप समिति के अन्य सदस्यों में श्री कुमार मंगलम बिड़ला, डॉ. के.सी.चक्रवर्ती,

उप गवर्नर, श्रीमती शशि राजगोपालन और प्रो. यू.आर.राव, शामिल थे। श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक इस उप समिति के सदस्य-सचिव थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की

21 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ियों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की।

इस कार्यदल (अध्यक्ष: श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन अप्रैल 2010 में घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में किया गया था। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों की प्रभावकारिता के संबंध में निष्पक्ष आश्वासन को बढ़ावा देने के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण तथा साइबर धोखाधड़ियों से निपटने के लिए सूचना सुरक्षा उपायों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को सुदृढ़ करने की सिफ़ारिश की गई थी।

इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण, सूचना सुरक्षा (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, कार्ड सहित), सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग, सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा, साइबर धोखाधड़ी, कारोबारी निरंतरता आयोजना, ग्राहक शिक्षा और कानूनी मुद्दे।

कार्यदल का लक्ष्य बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संबंधी समस्त दिशानिर्देश उपलब्ध कराना था। इससे सभी बैंकों को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बैंकिंग वातावरण के लिए एक-समान न्यूनतम मानक अपनाने तथा एक चरणबद्ध रूप से उत्कृष्ट प्रणालियाँ अपनाने में सहायता मिलेगी। कार्यदल का यह मानना था कि बैंकों को विरोधाभासी व्याख्याओं को कम करने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निरंतरता का दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है।

कार्यदल के कुछ प्रमुख सुझाव नीचे दिए गए हैं। कार्यदल ने यह माना है कि यह जरूरी नहीं है कि सुझाव ''सभी के लिए समान रूप से लागू'' हो और इन सुझावों का कार्यान्वयन बैंकों द्वारा अपनायी गयी गतिविधियों के स्वरूप और दायरा, बैंकों में मौजूदा प्रौद्योगिकी का वातावरण तथा कारोबारी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी की सहायता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक शीघ्र ही कार्यदल के सुझावों को लागू करना शुरू कर देगा।

पृष्ठभूमि

सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता दायरा और भारत के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उसे त्वरित अपनाये जाने के कारण बैंक स्वचालित आंतरिक प्रक्रियाओं को अपनाने के अलावा ग्राहकों को उत्पाद तथा सेवाएं देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के कतिपय लाभ हैं, जैसे ग्राहकों को बहुविध संवितरण के माध्यम, नए उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास, सेवा उपलब्ध कराने की लागत में कमी और वित्तीय समावेशन के प्रयासों को समर्थन देने की संभाव्यता।

सूचना प्रौद्योगिकी में विकास से कई नई चुनौतियाँ भी आई हैं। इनमें प्रौद्योगिकी में व्यापक और त्वरित परिवर्तन, जटिलताएं, अत्यधिक लागत, सुरक्षा और आँकड़ों की सुरक्षा के मामले, नए कानून और विनियम तथा प्रशिक्षित मानवशक्ति की अपर्याप्त संख्या शामिल हैं। अपर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों से साइबर धोखाधड़ियाँ हो सकती हैं और प्रौद्योगिकी के कमज़ोर कार्यान्वयन से गलत सूचना/आँकड़ों के आधार पर गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। इन वर्षों में साइबर से डर के दायरे में भी बदलाव आया है और इसीलिए इन समस्याओं से निपटने के उपाय करते समय इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

इस संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण को बढ़ाने और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों और उत्कृष्ट प्रणालियों पर आधारित बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सूचना सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। जहां सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन को बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा बनाने की आवश्यकता है वहीं आंतरिक लेखा-परीक्षाओं/सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षाओं को स्वतंत्र रूप से यह आश्वासन देना था कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियाएं और नियंत्रण अपेक्षानुसार कार्य कर रहे हैं। हाल ही में बैंकों में साइबर धोखाधड़ियों की वारदातों को देखते हुए वाणिज्यिक बैंकों में नियंत्रणों को सुधारने की आवश्यकता है और धोखाधड़ी जोखिम आकलनों और प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावी जाँच की आवश्यकता है। इलैक्ट्रॉनिक मोड में लेनदेनों के बढ़ने से बैंकों पर लागू साइबर कानून की जाँच भी आवश्यक है तथा कानूनी जोखिमों को उचित रूप से कम करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। इन मामलों पर विचार करने के लिए अप्रैल 2010 में वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 में गवर्नर ने सूचना सुरक्षा, इलैक्ट्रानिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ियों से निपटने के लिए एक कार्यदल गठित करने की घोषणा की थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार से साथ करार

21 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत अनुपूरक करार किया है। 1 अप्रैल 2011 को प्रभावी होनेवाले इस करार के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक जम्मू और कश्मीर सरकार के लिए सामान्य बैंकिंग कारोबार करेगा और सरकारी निधियों के निवेश के लिए एक मात्र एजेंट के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इसके अनुसार जे एण्ड के बैंक राज्य सरकार का सामान्य बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक पहले से ही 1 सितंबर 1972 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ किए गए करार के अनुसरण में जम्मू और कश्मीर सरकार के लिए ऋण प्रबंधक का कार्य कर रहा है।

निरमा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया

24 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निरमा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय निरमा हाऊस, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009 है, का प्रमाणपत्र पंजीकरण हेतु आवेदन 4 जनवरी 2011 को अस्वीकृत कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद निरमा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइक्रो वित्त संस्थाओं पर मालेगाम समिति की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किए

28 जनवरी 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) पर मालेगाम समिति की रिपोर्ट पर सभी स्टेकधारकों और जनता से अभिमत/सुझाव आमंत्रित किए हैं। कृपया अपने अभिमत/सुझाव/विचार प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 10वीं मंजिल, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001 को अंतिम तारीख 13 फरवरी 2011 तक अवश्य भेजें अथवा इ-मेल करें।

आपको यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक ने माइक्रो वित्त संस्था क्षेत्र की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए अपने केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की एक उप समिति नियुक्त की थी। इस उप समिति ने 19 जनवरी 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।